न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला--अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :--01/443/2015 ऑनलाईन नम्बर--2015/01216 प्रवेश तिथि--29.04.2015

1. खैरया पुत्र सुखदेवा कौम मीना निवासी कालवाड तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक टहला जिला अलवर वन विभाग।

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा --88, 89, 188

उपस्थितः--श्री मोहनलाल जैमन एड0 -वादी

श्री राजेन्द्र चेयरवाल एड- प्रतिवादी

पैरोकार सरकार--प्रतिवादी

दिनांक 02/01/2025

--:निर्णयः--

1. आज यह पत्रावली अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.79 वाके ग्राम कालवाड में से 1.75 ऐयर गत आराजी खसरा संख्या 80/1 रकबा 7 बीघा के मुताबिक खातेदकार काश्तकार है यह भूमि दिनांक 28.01.1974 को विनियमन होकर वादी को पट्टा किया गया था। और नियमानुसार गैरखातेदारी का इन्तकाल दिनांक 31.05.1982 को स्वीकार किया गया और वादी इस भूमि पर लगातार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को यह भूमि विनियमन हुई थी। विनियमन की कार्यवाही जो व्यक्ति के पक्ष में कि जाति है। जिसका लगातार भूमि पर कब्जा रहा हो और काश्त की हो इस मोजूदा मुकदमे में भी वादी को यह भूमि विनियमन हुई है। और सम्वत 2029 से वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नही है कि किसी की खातेदारी वो गैरखातेदारी की समाप्त करें। ना ही भूमि की किस्म परिवर्तन करें। वादी की भूमि गत खसरा संख्या 80/1 रकबा 7 बिघा ग्राम कालवाड किस्म गैरमुमकिन पहाड नही रहा न मौके पर पहाड है। और इस भूमि पर वादी को राज्य सरकार द्वारा भूमि पर बैंक से लोन भी दिया गया है और लौन लेकर वादी ने इस भूमि पर मक्का बाजरा की काश्त की गई थी। अन्त में वादी के हाल आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.79 ऐयर वाके ग्राम कालवाड तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला में से 1.75 ऐयर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। और गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे। अन्त में दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जो निम्नानुसार है--

जवाब प्रतिवादी संख्या 01 वादपत्र में वर्णित आराजी में कोई दखल नही दिया गया था। ना ही वादी द्वारा मुल आवंटन पटटा पेश नही किया गया था। गत खसरा संख्या 80 वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार गै0मु0 पहाड होने एवं वादी को मौके पर कोई दखल नही दिया गया था। इसी अनुसार शिकायतक दर्ज कर दिया गया।

जवाब प्रतिवादी संख्या 2 आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.27 है0 रक्षित वनखण्ड कालवाड का भाग है। जिसके साबिक आराजी खसरा नम्बर 80 है0 तथा यह वन भूमि है इस रक्षित वनखण्ड हेतु प्रारम्भिक नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र 18 अक्टूबर 1956 भाग 1 (ख) के पृष्ठ संख्या 620 के क्रम संख्या 37 के द्वारा किया गया है। जिसमें राजस्थान वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा वन बंदोबस्त की कार्यवाही की गई है। वन बंदोबस्त की सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुये राज्य सरकार द्वारा 5 मार्च 1968 को अन्तिम विज्ञप्ति जारी की गई। जिसका राजस्थान राजपत्र भाग 1 (ख) 12 सितम्बर 1968 को प्रकाशन किया गया। वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खसरा बंदोबस्त फर्द में अंकन किया जिसमें वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खसरा बंदोबस्त फर्द में अंकन किया है जिसमें खसरा नम्बर 80 अंकन है तथा नक्शे में भी सम्मिलित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 27 है। वन बंदोबस्त नियम 7 के अनुसार वन बंदोबस्त अधिकारी ने जिला कलैक्टर अलवर के यहा भूल पत्रावली दिनांक 24.06.1983 वास्ते राजस्व में अमल दरामद हेतु पेश की जिसे जिला कलैक्टर महोदय अलवर ने तहसीलदार साहब राजगढ को राजस्व में अमल दरामद हेतु पेश की उसी समय तहसीलदार राजगढ को भूमि को वन भूमि में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। तथा इस भूमि का आवंटन गैर खातेदारी दिया जाना अवैधानिक है। वर्तमान में उक्त इस भूमि वन विभाग के कब्जे काश्त में है। वादी को दिनांक 28.01.1974 को किसी प्रकार का विनियमन किया जाकर पट्टा जारी किया गया था। तो नियमानुसार उसी समय उक्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज की गई होती जबकि वादी द्वारा यह कथन कहा गया है। कि वादी को गैर खातेदारी जरिये इन्तकाल दिनांक 31.05.1982 को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज करवाया है। तो वह नियम विरूद्व है। उक्त वन क्षेत्र. कालवाड का सीमांकन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण संख्या 509/91 तरूण भारत संघ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के निर्णय में गठित जस्टिस एम0एल0 जैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों दिनांक 08.04.93, 29.07.97, 07.09.95 से वन भूमि पर सभी प्रकार के गैर वानिकी कार्यो को बन्द किया है। तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 202/95 गोडवर्मन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के निर्णय दिनांक 12.12.96 से भी राजकीय किसी भी रिकार्ड में वन भूमि है। उस पर गैर वानिकी कार्यो पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मौके पर रक्षित वनखण्ड कालवाड का जो सीमाकंन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम.एल. जैन कमेटी ने किया उसमें सीमाबों के सहारे मौके पर बाउण्ड्री पिलर लगाकर बाउण्ड्री पलरो के साहरे सूर्ख पत्थरों की दीवार का निर्माण विभाग के द्वारा करवा दिया गया है। इस प्रकार कब वन विभाग है। जबकि खसरा नम्बर 80 की किस्म पूर्व से ही रिकार्ड में गैर मुमकिन पहाड दर्ज है। अन्त में ग्राम कालवाड की हाल आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.79 है0 को वन विभाग के नाम इन्द्राज दर्ज कर दावा वादी खारीज कियो जाने का निवेदन किया।

3 तनकीयात कायम करके सुनाई गई। तनकीयात के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. आया वादी आराजी खसरा संख्या 27 में 1.75 खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

.....वादी

2. अन्य दादरसी

4. वादी की ओर दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिन पर प्रदर्श निम्न प्रकार है–

– *मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 प्रदर्श 1*
– *जमाबन्दी संवत 2037 प्रदर्श 2*
– *खसरा गिरधावरी सम्वत 2026–29 प्रदर्श 3*
– *खसरा गिरधावरी सम्वत 2030–33 प्रदर्श 4*
– *खसरा गिरधावर सम्वत 2041–43 प्रदर्श 5*
– *नक्शा एक्स पर्चा खसरा नम्बर 80 प्रदर्श 6*
–*विनियमन पटट प्रदर्श–7*

– *प्रमाण पत्र भूमि प्रदर्श 8*

– *नामान्तरकण संख्या 52 खसरा संख्या 80/1 प्रदर्श 9*

5. इसी प्रकार गवाह साक्ष्य के रूप में नजरू खा पुत्र वशीर खा, प्रभू पुत्र नारायण जाति मीना, जयकिशन पुत्र भूरा, खैराती उर्फ खैरा पुत्र सुखदेवा, श्रवण पुत्र खैराती के साक्ष्य गवाह लेखबद्व कराये गये जो शामिल मिसल है।

6. प्रतिवादी की ओर दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिन पर प्रदर्श निम्न प्रकार है–

– *मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 प्रदर्श ए–1*

– *नामा0 की सत्य प्रति प्रदर्श ए–2*

– *नकल जमाबन्दी सम्वत 2036 प्रदर्श ए–3*

– *नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श ए–4*

– *राजस्व नक्शा प्रदर्श ए–5*

– *नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श ए–6*

– *नकल जमाबन्दी सम्वत 2033 प्रदर्श ए–7*

– *गजट नोटिफिकेशन 5 मार्च 1968 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिसन नम्बर 202/1995 निर्णय दिनांक 07.09.1995 की प्रति प्रदर्श ए–8*

7. इसी प्रकार गवाह साक्ष्य प्रतिवादी के रूप के रूप में कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला, हजारी लाल मीना पुत्र रामचन्द्र मीना क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल मिशल है। गवाह लेखबद्व कराये गये जो शामिल मिसल है।

8. प्रकरण में बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र में तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.79 वाके ग्राम कालवाड में से 1.75 ऐयर गत आराजी खसरा संख्या 80/1 रकबा 7 बीघा के मुताबिक खातेदकार काश्तकार है यह भूमि दिनांक 28.01.1974 को विनियमन होकर वादी को पटट किया गया था। और नियमानुसार गैरखातेदारी का इन्तकाल दिनांक 31.05.1982 को स्वीकार किया गया और वादी इस भूमि पर लगातार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को यह भूमि विनियमन हुई थी। विनियमन की कार्यवाही जो व्यक्ति के पक्ष में कि जाति है। जिसका लगातार भूमि पर कब्जा रहा हो और काश्त की हो इस मोजूदा मुकदमे में भी वादी को यह भूमि विनियमन हुई है। और सम्वत 2029 से वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। वन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नही है कि किसी की खातेदारी वो गैरखातेदारी की समाप्त करें। ना ही भूमि की किस्म परिवर्तन करें। वादी की भूमि गत खसरा संख्या 80/1 रकबा 7 बिघा ग्राम कालवाड किस्म गैरमुमकिन पहाड नही रहा न मौके पर पहाड है। और इस भूमि पर वादी को राज्य सरकार द्वारा भूमि पर बैंक से लोन भी दिया गया है और लौन लेकर वादी ने इस भूमि पर मक्का बाजरा की काश्त की गई थी। अन्त में वादी के हाल आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.79 ऐयर वाके ग्राम कालवाड तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला में से 1.75 ऐयर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। और गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे। अन्त में दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रकरण में बहस पैरोकार की सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान पैरोकार ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराया गया। और दावा वादी खारीज करने का निवेदन किया गया।

88e

10. प्रकरण में बहस वकील प्रतिवादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील प्रतिवादी वादी ने जवाब दावे के तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.27 है0 रक्षित वनखण्ड कालवाड का भाग है। जिसके साबिक आराजी खसरा नम्बर 80 है0 तथा गढ का भूमि है इस रक्षित वनखण्ड हेतु प्रारम्भिक नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र 18 अक्टूबर 1956 भाग 1 (ख) के पृष्ठ संख्या 620 के क्रम संख्या 37 के द्वारा किया गया है। जिसमें राजस्थान वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा वन बंदोबस्त की कार्यवाही की गई है। वन बंदोबस्त की सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुये राज्य सरकार द्वारा 6 मार्च 1968 को अन्तिम विज्ञप्ति जारी की गई। जिसका राजस्थान राजपत्र भाग 1 (ख) 12 सितम्बर 1968 को प्रकाशन किया गया। वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खसरा बंदोबस्त फर्द में अंकन किया जिसमें वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खसरा बंदोबस्त फर्द में अंकन किया है जिसमें खसरा नम्बर 80 अंकन है तथा नक्शे मे भी सम्मिलित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 27 है। वन बंदोबस्त नियम 7 के अनुसार वन बंदोबस्त अधिकारी ने जिला कलैक्टर अलवर के यहा मूल पत्रावली दिनांक 24.06.1983 वास्ते राजस्व में अमल दरामद हेतु पेश की जिसे जिला कलैक्टर महोदय अलवर ने तहसीलदार साहब राजगढ को राजस्व में अमल दरामद हेतु पेश की उसी समय तहसीलदार राजगढ को भूमि को वन भूमि में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। तथा इस भूमि का आवंटन गैर खातेदारी दिया जाना अवैधानिक है। वर्तमान में उक्त इस भूमि वन विभाग के कब्जे काश्त में है। वादी को दिनांक 28.01.1974 को किसी प्रकार का तिनियमन किया जाकर पट्टा जारी किया गया था। तो नियमानुसार उसी समय उक्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज की गई होती जबकि वादी द्वारा यह कथन कहा गया है। कि वादी को गैर खातेदारी जरिये इन्तकाल दिनांक 31.05.1982 को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज करवाया है। तो वह नियम विरुद्व है। उक्त वन क्षेत्र. कालवाड का सीमांकन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण संख्या 509/91 तरूण भारत संघ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के निर्णय में गठित जस्टिस एम0एल0 जैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों दिनांक 08.04.93, 29.07.97, 07.09.95 से वन भूमि पर सभी प्रकार के गैर वानिकी कार्यो को बन्द किया है। तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 202/95 गोडवर्मन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के निर्णय दिनांक 12.12.96 से भी राजकीय किसी भी रिकार्ड में वन भूमि है। उस पर गैर वानिकी कार्यो पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मौके पर रक्षित वनखण्ड कालवाड का जो सीमाकंन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम.एल. जैन कमेटी ने किया उसमें सीमाबों के सहारे मौके पर बाउण्ड्री पिलर लगाकर बाउण्ड्री पलरो के साहरे सूर्ख पत्थरों की दीवार का निर्माण विभाग के द्वारा करवा दिया गया है। इस प्रकार कब वन विभाग है। जबकि खसरा नम्बर 80 की किस्म पूर्व से ही रिकार्ड में गैर मुमकिन पहाड दर्ज है। अन्त में ग्राम कालवाड की हाल आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10.79 है0 को वन विभाग के नाम इन्द्राज दर्ज कर दावा वादी खारीज किये जाने का निवेदन किया।

9. बहस वकील वादी व पैराकार तथा पर मनन किया गया। और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अवलोकरन व मनन किया गया। बाद गौर व अवलोकन से दावा वादी कि जो काबिल–ए–दुरूस्त योग्य नही है।

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 बावत् इस्तकरार हक्क गय दुरूस्ती पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से साबित नही होने के कारण अस्वीकार/खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा सिक्की जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/443/2015 ऑनलाईन नम्बर–2015/01216 प्रवेश तिथि–29.04.2015

2. खैरया पुत्र सुखदेवा कौम मीना निवासी कालवाड तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
.....वादी

बनाम

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक टहला जिला अलवर वन विभाग।
.....प्रति वादीगण

दावा इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा –88, 89, 188
उपस्थितः–श्री मोहनलाल जैमन एड0 –वादी
श्री राजेन्द्र चेयरवाल एड–प्रतिवादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 बाबत् इस्तकरार हक्क मय दुरूस्ती पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से साबित नही होने के कारण अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.10.2024 को तैयार कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर